(105)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3399–दो/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 20–08–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 35/2005–06 निगरानी

1– गणेश प्रसाद पुत्र कालूराम ब्राहमण

2– जालेश्वर प्रसाद पुत्र कालूराम ब्राहमण

ग्राम पोडी मझगवॉ तहसील उचेहरा

तहसील उचेहरा जिला सतना मध्यप्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

वृन्दावन पुत्र बंशीधर ब्राहमण

ग्राम **पोडी मझगवॉ तहसील उचेहरा**

तहसील उचेहरा जिला सतना मध्यप्रदेश --- अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री डी0एस0चाहौन)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर)

आ दे श

(आज दिनांक 25 -7-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 35/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–8–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने नायब तहसीलदार वृत्त अटरा तहसील नागोद के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115

सहपठित 116 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उसके स्वत्व एंव स्वामित्व की ग्राम पोड़ी स्थित भूमि सर्वे कमांक 501/2 रकबा 7 वीघा बराबर 1.463 हैक्टर के खसरे के कालम नंबर 12 में आवेदकगण का नाम फर्जी एंव बनावटी दर्ज कर दिया गया है जिसका सुधार किया जावे। नायव तहसीलदार वृत्त अटरा तहसील नागोद ने प्रकरण कमांक 1 अ-6-अ/1996-97 पंजीबद्ध किया तथा कार्यवाही प्रारंभ की। आवेदकगण ने नायव तहसीलदार के समक्ष इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की कि आवेदन का धारा 115 सहपठित 116 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र टाइमवार्ड है इसलिये निरस्त किया जाय। नायव तहसीलदार ने आपत्ति पर उभय पक्ष को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 30-4-05 पारित किया तथा अनावेदक को टाइमवार्ड से मुक्ति प्रदान करते हुये प्रकरण आगे सुनवाई में लगाया। नायव तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 30-4-05 के विरुद्ध आवेदकगण ने अपर कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर सतना ने प्रकरण कमांक 352/04-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-9-05 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 35/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-8-14 से निगरानी अस्वीकार की । इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 30-4-05 से अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 115 सहपठित 116 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस आधार पर टाइम वार्ड से मुक्ति प्रदान की है क्योंकि प्रारंभिक जॉच में उनके अभिज्ञान में यह तथ्य आया कि कब्जा किसके आदेश से लिखा गया है इसका कोई हवाला रिकार्ड में नहीं पाया गया है। पटवारी हलका को कब्जा दर्ज करने की अधिकारिता नहीं होना उन्होंने आदेश में अंकित करते हुये अनावेदकगण (इस न्यायालय के आवेदक) को निर्देशित किया है कि वह पक्ष समर्थन में कब्जा दर्ज होने के संदर्भ में लेखी साक्ष्य पेश करें। तात्पर्य यह है कि नायव तहसीलदार ने उनके अभिज्ञान में बेअधिकार कब्जा दर्ज होने का तथ्य आने पर प्रकरण आगे स्वतः संज्ञान में लेने के उद्वेश्य से आवेदक के आवेदन को

टाइमवार्ड से मुक्त रखा है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। अपर कलेक्टर सतना द्वारा आदेश दिनांक 20-9-05 में निकाले गये निष्कर्ष तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा आदेश दिनांक 20-8-14 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 35/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-8-14 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर